पुलिस कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर

सराहनीय कार्य

दिनांक 09.04.2021

1-थाना जेवर पुलिस द्वारा 01 शराब तस्कर अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से 12 पेटी अवैध अंग्रेजी शराब हरियाणा मार्का बरामद।

दिनांक 08/09.04.2021 की रात्रि में थाना जेवर पुलिस पुलिस द्वारा 01 शराब तस्कर अभियुक्त चन्द्रपाल पुत्र रामचन्द्र निवासी चाँदपुर कलाँ थाना नौहझील जनपद मथुरा को ग्राम अलावलपुर के पास बने फार्म हाउस से गिरफ्तार किया गया है। अभियुक्त के कब्जे से 12 पेटी अवैध अंग्रेजी शराब हरियाणा मार्का बरामद की गई है।

अभियुक्त का विवरणः

चन्द्रपाल पुत्र रामचन्द्र निवासी चाँदपुर कलाँ थाना नौहझील जनपद मथुरा।

पंजीकृत अभियोग का विवरणः

मु0अ0सं0 151/2021 धारा 60/63 आबकारी अधि0 थाना जेवर गौतमबुद्धनगर।

बरामदगी का विवरणः

12 पेटी अवैध अंग्रेजी शराब हरियाणा मार्का

2-थाना जेवर पुलिस द्वारा 02 शराब तस्कर अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से 18 पेटी अवैध शराब मय शराब तस्करी में प्रयुक्त 01 कार बरामद।

दिनांक 08/09.04.2021 की रात्रि में थाना जेवर पुलिस द्वारा चेकिंग के दौरान 02 शराब तस्कर अभियुक्त 1. संजय पुत्र धर्मवीर निवासी बिल्खौरा थाना खैर जनपद अलीगढ 2. देवेन्द्र पुत्र जोगेन्द्र सिंह निवासी ग्राम खेडिया बुजरा थाना खैर अलीगढ को थाना क्षेत्र के बेगमाबाद अण्डरपास के नीचे से गिरफ्तार किया गया है। अभियुक्तों के कब्जे से 18 पेटी अवैध शराब मय शराब तस्करी में प्रयुक्त 01 कार टियागो नं0 यूपी 81 सीडी 3427 बरामद की गई है।

अभियुक्तों का विवरणः

1. संजय पुत्र धर्मवीर निवासी बिल्खौरा थाना खैर जनपद अलीगढ।

2. देवेन्द्र पुत्र जोगेन्द्र सिंह निवासी ग्राम खेडिया बुजरा थाना खैर अलीगढ।

पंजीकृत अभियोग का विवरणः

मु0अ0सं0 150/2021 धारा 60/63 आबकारी अधि0 थाना जेवर गौतमबुद्धनगर।

बरामदगी का विवरणः

1.10 पेटी अवैध अंग्रेजी शराब नाईट ब्लू मेट्रो लिक्वायर फॉर सेल इन हरियाणा ओनली।

2.08 पेटी अवैध अंग्रेजी शराब कैशिनोज प्राईड फॉर सेल इन हरियाणा ओनली।

3.01 कार टियागो नं0 यूपी 81 सीडी 3427

3-थाना दादरी पुलिस व एसटीएफ टीम द्वारा संयुक्त रूप से कार्रवाई करते हुए अवैध शराब की तस्करी करने वाले 5 तस्कर गिरफ्तार, कब्जे से 01 टाटा कैन्टर, 01 कार, व 319 पेटी अवैध शराब(कीमत लगभग 25,00,000 रूपये) व अवैध हथियार मय कारतूस बरामद।

थाना दादरी पुलिस व एसटीएफ टीम द्वारा द्वारा संयुक्त रूप से कार्रवाई करते हुए अवैध शराब की तस्करी करने वाले 5 तस्कर 1. राकेश पुत्र प्रकाश 2.कासिम पुत्र फजलू 3. सद्दाम पुत्र जुम्मा 4. राजेन्द्र उर्फ राजू पुत्र परशुराम 5. गौरव पुत्र पवन को थाना क्षेत्र के पैरिफैरल एक्सप्रेस वे बील अकबरपुर के पास से गिरफ्तार किया गया है। अभियुक्तों के कब्जे से 01 टाटा कैन्टर नं0 यूपी 21 सीएन 3036 जिसका नम्बर बदलकर यूपी 24 सीएन 3836 फर्जी नम्बर प्लेट, हरियाणा से तस्करी हेतु लायी गयी 319 पेटी (पव्वे) अवैध शराब जिसमें 253 पेटी (पव्वे) 20-20 अवैध शराब हरियाणा मार्का एवं 66 पेटी अवैध नाईट ब्लू मार्का हरियाणा मार्का(कीमत लगभग 25,00,000 रूपये), 01 कार आई 20 नं0 एच आर 30 यू 9237, 01 अवैध तमंचा 315 बोर मय 3 जिन्दा कारतूस 315 बोर बरामद किये गये है।

अभियुक्त शातिर किस्म के अवैध शराब तस्कर है जो गैर प्रान्त से अवैध शराब लाकर आर्थिक लाभ प्राप्त करने के उद्वेश्य से तस्करी करते थे व पुलिस चेकिंग में पुलिस द्वारा रोकने पर बचने के लिए अवैध हथियार से फायरिंग कर भाग जाते थे ।

अभियुक्तों का विवरणः

1.राकेश पुत्र प्रकाश निवासी ग्राम बडौली थाना बी.पी.टी.पी फरिदाबाद हरियाणा।

2.कासिम पुत्र फजलू निवासी म0नं0 4203 मौहल्ला 36 गज सैक्टर 03 थाना सैक्टर 7 बल्लभगढ जनपद फरीदाबाद हरियाणा।

3.सद्दाम पुत्र जुम्मा निवासी म0नं0 4231 सैक्टर 03 बल्लभगढ जनपद फरीदाबाद हरियाणा।

4.राजेन्द्र उर्फ राजू पुत्र परशुराम निवासी म0नं0 10/1 ग्राम अनखीर थाना सूरज कुंड जिला फरीदाबाद हरियाणा।

5.गौरव पुत्र पवन निवासी ग्राम राम नगर थाना कोतवाली नीलम बाटा रोड बल्लभगढ फरीदाबाद हरियाणा।

अभियोग का विवरणः

1.मु0अ0सं0 202/2021 धारा 60/63/72 आब0 अधि0 व 420/467 भादवि थाना दादरी गौतमबुद्धनगर बनाम राकेश,कासिम,सद्दाम,राजेन्द्र व गौरव।

2.मु0अ0सं0 203/2021 धारा 3/25 आयुध अधि0 थाना दादरी बनाम राजेन्द्र।

बरामदगी का विवरणः

1.01 टाटा कैन्टर नं0 यूपी 21 सीएन 3036 जिसका नम्बर बदलकर यूपी 24 सीएन 3836 फर्जी नम्बर प्लेट

2.हरियाणा से तस्करी हेतु लायी गयी 319 पेटी (पव्वे) अवैध शराब जिसमें 253 पेटी (पव्वे) 20-20 अवैध शराब हरियाणा मार्का एवं 66 पेटी अवैध नाईट ब्लू मार्का हरियाणा मार्का(कीमत लगभग 25,00,000 रूपये)

3. 01 कार आई 20 नं0 एच आर 30 यू 9237

4.01 अवैध तमंचा 315 बोर मय 3 जिन्दा कारतूस 315 बोर

#जनपद में कोविड-19 महामारी के पुनः संक्रमण के खतरे को देखते हुए पुलिस कमिश्नर आलोक सिंह के निर्देशानुसार सभी थाना क्षेत्रों में पीसीआर, माइक मोबाइल जीप, पैदल गश्त टीम व स्वयं पुलिस अधिकारियों के द्वारा कोविड गाइडलाइन्स, सोशल डिस्टेंसिनग, मास्क लगाने , दो गज की दूरी व रात्रि कर्फ्यू के सम्बंध में लगातार अनाउंसमेंट किया जा रहा है। यदि कोई भी व्यक्ति कोविड सम्बन्धी नियमों का उल्लंघन करता है तो उस पर वैधानिक कार्यवाही करते हुए जुर्माना किया जाएगा।

इसी के क्रम में दिनांक 09.04.2021 को बिना मास्क के सार्वजनिक स्थानों पर घूमने वाले 6006 व्यक्तियों का चालान की कार्यवाही करते हुए 6,00,600 रुपये का जुर्माना वसूला गया,1262 वाहनों का चालान करते हुए कुल 1,63,900 रुपये शमन शुल्क वसूला गया साथ ही 23 वाहनों को सीज भी किया गया। 77 व्यक्तियों के विरुद्ध धारा 188 भादवि के अंतर्गत कार्यवाही करते हुए कुल 30 अभियोग पंजीकृत किये गये।